कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / मा–स / विविध / 2016 / 212 दिनांक : 30/04/2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक / प्रारम्भिक– प्रथम / द्वितीय ।

विषय :– विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को इन्टरनेट के जरिए खेले जाने वाले गेम्स के प्रति सतर्कता बरतने एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूकता बाबत।

प्रसंग :–
1. रिट याचिका(सिविल)संख्या–943 / 17 सह रि.या.(सि.) संख्या–872 / 17 स्नेहा कालिता व अन्य बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित निर्णय दिनांक : 20.11.2017
2. रिट याचिका(सिविल)संख्या–728 / 15 अर्जुन गोपाल व अन्य बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में माननीय न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक : 12.09.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक रिट याचिकाओं के निर्णयो के अनुसार विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को इन्टरनेट के जरिए खेले जाने वाले खेलों (गेम्स) के प्रति सतर्कता बरतने एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूकता बाबत आप अपने क्षेत्राधीन विद्यालयों में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें :–

विद्यालय में इंटरनेट और डिजिटल तकनीकियों के सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग हेतु दिशा निर्देश:–

1. सूचना तकनीकी अधिगम का महत्वपूर्ण स्रोत है तथापि यदि विद्यार्थी इंटरनेट का उपयोग बिना जागरूकता के उपयोग करते है तो वे अवैध गतिविधियों यथा साइबर धमकिया, फ्रॉड अथवा और गंभीर स्थितियों के शिकार हो सकते है । अतः इंटरनेट सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूकता अपरिहार्य है, ताकि बच्चे निर्भय होकर ज्ञान का अन्वेषण कर सकें। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के बढते प्रसार के कारण विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा इनके उपयोग का समुचित प्रबोधन एवं नियंत्रण आवश्यक हो गया है।
2. विद्यालयों में प्रभावी शिक्षण–अधिगम सुनिश्चित करने एवं विद्यार्थियों को स्वयं सहपाठियों एवं मूल्य प्रणाली के लिए हानिकारक कार्यों में लिप्तता रोकने के लिए सुरक्षित शैक्षिक वातावरण का निर्माण आवश्यक है। एतदर्थ विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी युक्तियों के माध्यम से किसी अनुचित और अवैधानिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए जाते है –

- विद्यार्थियों को इंटरनेट के सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग के लिए शिक्षित किया जाए ।
- इंटरनेट के स्वीकार्य सीमा तक उपयोग के सम्बन्ध में नियमों से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाए एवं इस सम्बन्ध में विशिष्ट नियमों को प्रदर्शित किया जाए।
- सभी कम्प्यूटरों में फॉयरवॉल्ज फिल्टरिंग और मॉनिटरिंग के लिए उचित सॉफ्टवेयरइंस्टॉल किए जाए । तथा फिल्टरिंग और ब्लॉकिंग प्रणालियों की निरन्तर समीक्षा की जाए । इंटरनेट पर उपलब्ध अवांछित सामग्री ब्लॉक किया जाए।
- अन्य स्कूल नेटवर्क से इंटरनेट के उपयोग को पृथक रखा जाए।

- समुचित मानकों के अनुसार एन्टीवायरस अथवा पैरेन्टल कण्ट्रोल फिल्टर्स युक्त कम्प्यूटर्स का उपयोग किया जाए।
- डिजिटल निगरानी प्रणाली का उपयोग किया जाए।
- बच्चों के इंटरनेट उपयोग की सुविधा विद्यालय मे इस प्रकार रखी जाए जिससे इंटरनेट के उपयोग के दौरान बच्चे अच्छी तरह दिखाई देते रहे।
- शैक्षिक उद्देश्यों के आलोक मे समस्त ऑनलाइन गतिविधेयों का परिवीक्षण और प्रबोधन किया जाए।
- विद्यार्थियों को उनके आयु समूह अनुसार पूर्व निर्धारित चुनिंदा वेबसाइट्स का उपयोग ही अनुमत किया जाए।
- अभिभावकों, शिक्षकों एवं अन्य स्कूल स्टाफ को इंटरनेट सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक किया जाए।
- फिल्टरिंग प्रणाली को भेदकर अथवा अनुचित तरीके से या अवैध सामग्री देखते पाए जाने पर सख्त अनुशासनिक कार्यवाही की जाए।
- विद्यालय छोड़ देने पर सम्बन्धित का यूजरनेम और पासवर्ड तत्काल बंद किए जाएं।
- काल्पनिक नामों से बच्चों अथवा समूहों के अकाउंट बनाने की अनुमति नहीं दी जाए।
- सभी सूचना युक्तियों पर कॉपीराइट, संपदा चोरी, फ्रॉड, अश्लीलता आदि को रोकने के सम्बन्ध कानूनों की पालना की जाए, जो उनकी निजता को प्रभावित करें।
- विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए विद्यालय की वेबसाइट्स पर विद्यार्थियों शिक्षकों आदि का व्यक्तिगत फोटो, विडियो आदि प्रदर्शित नहीं की जाए।
- सॉफ्टवेअर के केवल अनुज्ञप्त संस्करण (Licensed Vertion) ही उपयोग किए जाएं।
- इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के सुरक्षित उपयोग के लिए विद्यालय की एक नीति बनाई जाए।

3. स्कूल बस में बच्चों की सुरक्षा के लिए यह सुझाव है कि प्रत्येक स्कूल बस में आपातकालीन स्थिति में उपयोग हेतु बेसिक मॉडल का फोन (बिना इंटरनेट और डाटा स्टोरेज सुविधा) का उपलब्ध कराया जाए।
4. मोबाइल फोन के विद्यालय में उपयोग हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा–स/22444/विविध/2015–16 दिनांक : 31.03.2016 की सख्ती से पालना की जाए।
5. इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण युक्तियां एवं वे सभी युक्तियां जो दृश्य–श्रव्य सामग्री को चला सकती है अथवा रिकॉर्ड/स्टोर कर सकती हैं। फोटो प्रेषित अथवा प्राप्त कर सकती हैं अथवा इंटरनेट का असुरक्षित (unfiltued) उपयोग कर सकती हैं यथा– आईपैडस, डीवीडी/सीडी/ प्लेयर्स, गेम कन्सोल्ज, हैण्डहेल्ड पीसी, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टेबलैट अथवा समान प्रकृति और क्षमता वाला और कोई गैजेट विद्यालय और स्कूल बस मे बिना पूर्वानुमति और विद्यालय प्रशासन से पुष्टि किए अनुमत नही किया जाए। संस्था प्रधान और यातायात प्रभारी बस चालक और अटेंण्डेण्ट के मोबाईल फोन की आवश्यक रूप से जांच करे।
6. इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण युक्ति का अनियंत्रित उपयोग विद्यालयों और स्कूल बस में सख्त प्रतिबंधित है। इसके उल्लंघन की शिकायत मिलने पर सख्त अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

7. विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्रणाली प्रशासकों के लिए सूचना–सुरक्षा की जागरूकता सामग्री http://infosecawareness.in पर उपलब्ध है।
8. विद्यार्थियों के अवांछित गतिविधियों में लिप्त होने के कारण शोषण से रोकथाम के लिए उपर्युक्त निर्देशों की सख्ती से पालना के लिए संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है।

- **<u>विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूकता बाबत दिशा निर्देशः–</u>**
  1. वन क्षेत्र एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढाने के लिए माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वन एवं पर्यावरण क्लब के गठन हेतु विभाग के परिपत्र क्रमांक : शिविरा–मा/माध्य/स/नीतिगत दस्तावेज/2013–14 दिनांक : 12.06.2014 द्वारा निर्देश जारी किए गए। अतः समस्त राजकीय विद्यालयों में पर्यावरण क्लब की स्थापना किया जाना सुनिश्चित करावें।
  2. संस्था में व इसके इर्द–गिर्द प्रतिबंधित पॉलीथिन नजर नही आये व प्रतिबंधित पॉलीथिन बैग का प्रयोग विद्यालय, विद्यालय प्रांगण एवं स्कूल बस में ना हो।
  3. विद्यालय परिसर साफ सुथरा रहें एवं उसमें पेड़ पौधे लगाये जाकर विद्यालय परिसर को सुन्दर बनाये रखा जावे।
  4. विद्यालय परिसर में नये प्रवेश एवं अन्य विद्यार्थियों से अधिकतम छायादार एवं फलदार पेड़ लगवाया जावे व सूचना पट्टिका पर विद्यार्थी का नाम अंकित कर पेड़ पर टांगी जावे।
  5. पेड़ की सुरक्षा हेतु लोहे की जाली/कांटेदार बाड़ रक्षा कवच के रूप में लगाई जाए।
  6. लगाये गये पौधे की सुरक्षा व रखरखाव की जिम्मेवारी विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से दी जावें।
  7. इसके लिए संस्था प्रधान एवं समस्त स्टाफ भी सक्रिय रूप से कार्य करें।

13.04.18

(मूल चन्द मीना)
उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा को मण्डल परिक्षेत्र में समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन द्वारा निर्देशों की क्रियान्विति सुनिश्चित करवाए जाने हेतु ।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु ।
4. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
5. सहायक निदेशक (विधि), विधि अनुभाग को उनकी टिप्पणी क्रमांक : शिविरा/माध्य/विधि/विविध पत्र निष्पादन/2018/30 दिनांक : 16.02.2018 के क्रम में।
6. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा ।
7. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर